

जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड़ शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव के सम्बन्ध में एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एन०पी०वी० के रूप में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड़ शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि हेतु इको जोन क्लास-III ऑपन फोरेस्ट रू० 957780.00 प्रति हे० की दर से रू० 335223.00 की धनराशि का इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जमा की जायेगी तथा भविष्य में यदि एन०पी०वी० की जो भी दर निर्धारित होती है तो उक्त धनराशि भी इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जमा किया जायेगा।

22/3/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।